2012/00065

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी: श्री नरेन्द्र गुप्ता, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 432 / 2012

उनवान

बीरबल आत्मज श्री केसरी लाल जाति मीणा निवासी ग्राम रनोदिया तहसील पीपल्दा जिला कोटा

(अपीलाण्ट)

बनाम

सीताराम आत्मज श्री नैनगाराम जाति कोली निवासी रनोदिया तहसील पीपल्दा जिला कोटा

(रेस्पोडेण्ट)

उपस्थित :– 1. श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत (अभिभाषक अपीलाण्ट)
2. श्री मेघराज सिंह शक्तावत (अभिभाषक रेस्पो0)

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 29.08.2011 न्यायालय तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा प्रार्थना पत्र 183 बी आर.टी. एक्ट अन्तर्गत धारा 225 राज0 टी0 एक्ट

निर्णय दिनांक : 08.01.2020

1. अपीलाण्ट की ओर से जर्ये अभिभाषक न्यायालय तहसीलदार पीपल्दा के आदेश दिनांक 29.08.2011 के विरूद्व अपील प्रस्तुत कर तथ्य अंकित किये है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 183 बी आर.टी.एक्ट स्वीकार कर अपीलान्ट को आराजी ख0 नं0 533 रकबा 1.90 हैक्टर से बेदखल किया जाकर रेस्पो0 को कब्जा संभलाये जाने के आदेश प्रदान करने मे त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को अपनी जवाब देही करने तथा दस्तावेज पेश करने का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही प्रकरण का निस्तारण कर दिया । विवादित आराजी ग्राम रनोदिया तहसील पीपल्दा अपीलान्ट ने रेस्पो0 से उसके हिस्सा आराजी ख0 नं0 533 रकबा 1.90 हैक्टर मे से 0.95 हैक्टर दक्षिण दिशा को 6300 रूपये मे दिनांक 24.05.97 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है तथा वक्त खरीद से ही अपीलान्ट उक्त हिस्सा आराजी हिस्सा 0.95 हैक्टर पर काबिज काश्त चला आ रहा है तथा वर्तमान मे भी काबिज काश्त है । रेस्पो0 ने अपने प्रार्थना पत्र मे एक तरफ अपीलान्ट को अपने हिस्से आराजी को पांती काश्त पर देना अंकित कर रहा है दुसरी तरफ 7–8 वर्ष पूर्व पांती काश्त हटवाना तथा स्वंय काश्त करना अंकित कर रहा है तथा 10.06.2009 अपीलान्ट द्वारा जबरन कब्जा करना बता रहा है । उक्त गलत प्रार्थना पत्र के आधार पर वास्वविक तथ्यों को छिपाकर गलत रूप से पेश किया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय जेर अपील प्रदान किया है । जो हर प्रकार से काबिल निरस्तनीय है । साथ मे अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लि0एक्ट प्रस्तुत कर तथ्य अंकित किये है कि अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश जेर अपील अपीलान्ट की अनुपस्थिति मे पारित किया गया है । अपीलान्ट को आदेश जेर अपील की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 10.07.2012 को पटवारी हल्का द्वारा रेस्पो0 के पक्ष मे तहसील का फैसला होने तथा भूमि पर से कब्जा छोडने की बात करने पर हुई । उक्त जानकारी प्राप्त होने पर दिनांक 11.07.2012 को नकल प्रा0 पत्र पेश कर नकल प्राप्त प्राप्त

की गई । अतः सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 10.07.2012 तक की डिले कन्डोन कर अपील अवधि मध्य स्वीकार करने का निवेदन किया गया एवं अपील अपीलान्ट स्वीकार कर निर्णय जेर अपील निरस्त करने का निवेदन किया गया ।

2. अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट की तलबी की गई। रेस्पोडेण्ट की ओर से श्री मेघराज सिंह शक्तावत एड0 द्वारा वकालत नामा पेश किया गया ।

3. उपस्थित विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट का बहस मे अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि विवादित आराजी ग्राम रनोदिया तहसील पीपल्दा अपीलान्ट ने रेस्पो0 से उसके हिस्सा आराजी ख0 नं0 533 रकबा 1.90 हैक्टर मे से 0.95 हैक्टर दक्षिण दिशा को 6300 रूपये मे दिनांक 24.05.97 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है तथा वक्त खरीद से ही अपीलान्ट उक्त हिस्साा आराजी हिस्सा 0.95 हैक्टर पर काबिज काश्त चला आ रहा है तथा वर्तमान मे भी काबिज काश्त है । वास्तविक तथ्यों को छिपाकर गलत रूप प्रार्थना पत्र से पेश किया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय जेर अपील प्रदान किया है जो निरस्तनीय है । अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 29.08.2011 निरस्त करने का निवेदन किया गया ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 द्वारा अपनी बहस मे कथन किया कि रेस्पो0 जाति कोली है जो अनुसूचित जाति की श्रेणी मे आती है तथा अपीलान्ट की जाति मीणा है जो अनुसूचित जन जाति की श्रेणी मे आती है । अनुसूचित जाति के व्यक्ति की जमीन को अन्य श्रेणी के व्यक्ति ना तो खरीद सकते है और ना ही रहन रख सकते है । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित विधि अनुरूप होने से अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया गया ।

6. पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया सर्व प्रथम अपील के साथ अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लि0 एक्ट मे देरी से अपील प्रस्तुत करने के जो कारण उल्लेखित किये है वह सन्तोष जनक होने से अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लि0 एक्ट स्वीकार की जाकर विलम्ब की अवधि क्षम्य योग्य होने से न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए डिले अवधि कन्डोन करते हुए प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णय पारित करना उचित समझते है।

रेस्पो0 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 (बी) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट का प्रार्थना पत्र ग्राम रनोदिया तहसील पीपल्दा की आराजी ख0 नं0 533 रकबा 1.90 हैक्टर भूमि पर अपीलान्ट द्वारा कब्जा करने पर उसे बेदखल करने हेतु पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत् 2065–68 मे वादग्रस्त आराजी सीताराम, केसराराम पिता नेनगा राम हि0 2/3 हि0 बरा0, भेरूलाल रामस्वरूप, बाबूलाल, बंशीलाल पुत्रान रामनारायण, जानकी, घींसी, मंजू पुत्रियां रामनारायण, सेवा बेवा रामनारायण हि0 1/3 हिस्सा बरा0 जाति कोली की खातेदारी में दर्ज है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 13.06.2011 को अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ व उसके बयान भी दर्ज किए गये है । अतः अपीलान्ट का कथन कि ~~[illegible]~~ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही निर्णय पारित कर दिया गलत है । अपीलान्ट स्वंय विवादित आराजी को क्रय कर उस पर कब्जा काश्त होना बताता है । जबकि धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार अनुसूचित जाति की भूमि पर अनुसूचित जन जाति का कब्जा किया जाना अवैध है तथा वह धारा 183 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत अनाधिकृत रूप से कब्जा

किए जाने पर आराजी से बेदखल किए जाने योग्य है । अतः अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 29.08.2011 मे कोई त्रुटि नही पाई जाने से अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है ।

7. उपर्युक्त विवेचन से अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

8. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

9. निर्णय आज दिनांक 08.01.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(नरेन्द्र गुप्ता)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा